

न्यायालय जिला कलेक्टर, चूरु
पीठासीन अधिकारी - संदेश नायक, आई.ए.एस., जिला कलेक्टर, चूरु (राजस्थान)

प्रार्थना-पत्र (सरफैसी) संख्या 90 सन् 2019

दायरा दिनांक 31.10.2019

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा तारानगर जिला चूरु जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स अल्टाफ एण्ड कम्पनी प्रो. श्री रुस्तम अली पुत्र श्री जमीरदीन, वार्ड नंबर 23, मौहल्ला तेलियान, तारानगर जिला चूरु
2. श्रीमती साबिरा बेगम पत्नी श्री जमीरदीन, वार्ड नंबर 23, मौहल्ला तेलियान, तारानगर जिला चूरु
3. श्री जमीरदीन खान पुत्र श्री खुर्सिद खान, वार्ड नंबर 23, मौहल्ला तेलियान, तारानगर जिला चूरु

-अप्रार्थीगण



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002

-:: निर्णय ::-

निर्णय दिनांक 11.11.2019

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी से दिनांक 15.12.2014 को 20,00,000/- रुपये (अखरे बीस लाख रुपये मात्र) ऋण की सुविधा दी थी तथा अप्रार्थी श्रीमती साबिरा बेगम पत्नी श्री जमीरदीन की सम्पत्ति जो वार्ड नंबर 23, मौहल्ला तेलियान, तारानगर जिला चूरु में स्थित भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप 12901 वर्गफीट है का सामयिक बंधन करवाया था, जिसका आसा-पासा इस प्रकार है- उत्तर में रास्ता, दक्षिण में - शेष भूमि, पूर्व में - रास्ता व गेट, पश्चिम में - रास्ता।

ऋणी अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध ऋण को बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाने के कारण ऋण खाता बैंक ने दिनांक 01.04.2018 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 16.7.2019 को अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर दिया।

जिला कलेक्टर
१६

अप्रार्थी द्वारा बैंक के ऋण राशि व ब्याज राशि अदा नहीं किए जाने पर यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 मय दिनांक 16.8.2016 को हुए संशोधन के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी ऋणियों द्वारा ऋण राशि वापस भुगतान में चूककर्ता रहने पर बैंक द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया है जिसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। जिससे The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25(1) Plan/1F/VI/2005/P II Jaipur दिनांक 10.3.2006 एवं संशोधन दिनांक 16.8.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थी द्वारा ऋण सुविधा लेते समय जिस सम्पत्ति को परिसम्पत्ति के रूप में प्रार्थी के पक्ष में बंधक किया गया था (रिकॉर्ड के अनुसार) उस सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को जरिये पुलिस अधीक्षक, चूरु से प्राप्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी एवं पुलिस अधीक्षक, चूरु को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(संदेश नायक)
जिला कलेक्टर, चूरु